

कार्यालय कलेक्टर बाल संरक्षण जिला डिण्डौरी
किशोर न्याय बोर्ड



प्रमाण पत्र क्र. 348

अनुभव प्रमाण पत्र



दिनांक - 06/08/2020

प्रमाणित किया जाता है धन्याकुमारी वैश्य कि पिता श्री हेमराज वैश्य निवासी वार्ड न.05 किशोरी मोहल्ला डिण्डौरी जिला डिण्डौरी द्वारा जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय डिण्डौरी में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में वर्ष 2014 से 2019 तक कार्यस्थ रही है। इनका कार्य उत्कृष्ट एवं सराहनीय रहा है। हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

प्रमाणित किया सो सत्य है।


जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी
जिला डिण्डौरी म. प्र.

कार्यालय कलेक्टर बाल संरक्षण जिला डिण्डौरी

बाल कल्याण समिति



अनुभव प्रमाण पत्र



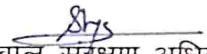
प्रमाण पत्र क्र. 6184

दिनांक-25/11/2024

प्रमाणित किया जाता है कि धन्याकुमारी वैश्य पिता स्व श्री हेमराज वैश्य निवासी वार्ड क 05 के द्वारा बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष के रूप में 07.04.2021 से 06.04.2024 तक कार्यस्थ रही है इनका कार्य उत्कृष्ट व सराहनीय रहा है।

हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

प्रमाणित किया जो सत्य है


जिला बाल संरक्षण अधिकारी
जिला - डिण्डौरी

// आदेश //

कलेक्टर शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/142/2014/2012 दिनांक 11.02.2014 के निर्देशानुसार डिण्डौरी जिले में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण/प्रतिषेध एवं प्रतिकार) अधिनियम, 2013 एवं नियम 2013 के क्रियान्वयन के लक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्नानुसार जिला स्तरीय स्थानीय परिवार समिति का पुनर्गठन किया जाता है-

क्रमांक	सदस्यों का नाम	समिति में पद
1	श्रीमती शिखा राय	अध्यक्ष
2	श्रीमती धन्यकुमारी वैश्य	सदस्य
3	श्रीमती बदना टांडिया	सदस्य
4	श्री नागेन्द्र चौरसिया	सदस्य

- उक्त गठित समिति के सदस्यों का कार्यकाल 03 वर्ष की अवधि के लिए है।
- 1.1 उक्त समिति लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत प्राप्त करेगी।
- 1.2 उक्त समिति उन कार्यालयों/संस्थाओं के कर्मचारियों की शिकायतें सुनेगी जहाँ 10 से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक परिवार समितियों का गठन नहीं हुआ है। उक्त समिति नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/नियोजक के विरुद्ध भी शिकायतें सुनेगी।

क्र./जि.प./स्था./2019-20/244A

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी
डिण्डौरी दिनांक 14/01/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश, शासन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, महोदय जिला-डिण्डौरी की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला-डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ।
5. संबंधित सदस्य..... की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी